

FORM NO. III

APP-A

फर्द अहकाम

crim-I

(नियम 26)


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

सत्यनारायण बनाम भूखात्री
 किस्म मुकदमा नं. 161/90/23 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3.7.23	वाद पत्र/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 LR Act द्वारा वकील श्री <u>जिरीश कुमार मीना</u> पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दिनांक <u>18.9.23</u> को पेश हो।	
18/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठाधीन अधिकारी महोदय दौरे/ अदकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि <u>20.11.23</u> को पेश हो।	
20.11.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठाधीन अधिकारी महोदय दौरे/ अदकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि <u>29.1.24</u> को पेश हो।	
29.1.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। तहसीलदार नैनवां का नोटिस बाद तामील संलग्न है। पेंरीकार सरकार उप० है। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में भूमि खसरा सं. 787/118 के सीमाज्ञान का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। वकील प्रार्थी ने सीमाज्ञान की रिपोर्ट के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की। अतः सीमाज्ञान के अभाव में न्यायालय इस	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नाम अखण्ड हुक्म की में जारी
	<p>ग्रांपत्र वास्ते पत्थरगढ़ी को जैरकार रखना उचित नहीं समझता हूँ। अतः ग्रांपत्र का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी) </p>	<p>तारीख</p>